पत्रांक–04/ STA-P3-381/2014

बिहार सरकार

(परिवहन विभाग)

अधिसूचना

पत्रांक–04/ STA-P3-381/2014 पटना, दिनांक--

बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–67(24) एवं नियम–68 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में राज्य परिवहन प्राधिकार द्वारा परमिट स्वीकृति एवं परमिट नवीकरण की स्वीकृति संबंधी लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन सहित वाहनों के प्रतिस्थापन संबंधी पृष्ठांकन, परमिट प्रतिस्ताक्षर पर्ची के निर्गमन एवं राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार नवीकरण पर्ची के निर्गमन संबंधी सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकार के अन्य रूटीन कर्तव्य के सम्पादन हेतु संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग को प्राधिकृत किया जाता है।

2 प्रस्ताव पर अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद्–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3 यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विश्वासभाजन,

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग,बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 04/STA.–P3–381/2014 पटना, दिनांक:--

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सीडी सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 100 (एक सौ) प्रतियां कार्यालय व्यवहार हेतु इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

ह0/–
सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक– 04/STA.–P3–381/2014 5217 पटना, दिनांक– 9/8/18

प्रतिलिपि:–मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद–सह–अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/पुलिस अधीक्षक (यातायात), पटना/सभी संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन निरीक्षक, बिहार/सभी प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित ।

9/8

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।